

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र ।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 3080 / खनिज / 2019

दिनांक 15/03/2019

शुद्धि पत्र

वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 व दिनांक 20.01.2016 के अनुक्रम में जनपद सोनभद्र में गठित जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति (डीईएसी) एवं जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए) की दिनांक 28.11.2018 को आहूत बैठक में जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत नदी तल स्थित मोरम के 19 रिक्त क्षेत्रों का जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने के पश्चात उसे जनपद-सोनभद्र की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्रमांक-16 पर अंकित ग्राम-पीपरडीह व कोरगी के आराजी संख्या-871 व 518ग का क्षेत्रफल 32.338 हे० है, जो टंकण त्रुटि के कारण 32.388 हे० अंकित हो गया था, जिसे 32.338 हे० पढ़ा जाय।


(के०के० राय)

खान अधिकारी / सदस्य सचिव,  
डीईएसी, सोनभद्र।

पत्रांक व तद दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र।
3. सूचना विज्ञान अधिकारी, कलेक्ट्रेट, सोनभद्र को इस आशय से कि उक्त शुद्धि पत्र को जनपद सोनभद्र की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट, सोनभद्र / खनिज कार्यालय, सोनभद्र पर चस्पा हेतु।

  
खान अधिकारी / सदस्य सचिव,  
डीईएसी, सोनभद्र।